

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 फाल्गुन 1936 (श0)

(सं0 पटना 332)

पटना. सोमवार. 23 फरवरी 2015

शिक्षा विभाग

अधिसूचनाएं 13 फरवरी 2015

सं0 10 / मु0 1—53 / 2014—100—बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 (बिहार अधिनियम संख्या—31,1982 की धारा—22 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार—राज्यपाल बिहार राज्य अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय (मध्यमा स्तर तक) के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार। —(1) यह नियमावली बिहार राज्य अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत (मध्यमा स्तर तक) विद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवा शर्त्त नियमावली, 2015 कही जायेगी।
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत (मध्यमा स्तर तक) के विद्यालयों तक होगा।
 - (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
 - 2. परिभाषाएं। -इस नियमावली में, जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ में विरूद्ध न हो :-
 - (i) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
 - (ii) 'विभाग' से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग ;
 - (iii) 'अधिनियम'से अभिप्रेत है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981;
 - (iv) 'बोर्ड' से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन गठित बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड :
 - (v) 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष;
 - (vi) 'सचिव' से अभिप्रेत है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सचिव ;
 - (vii) 'प्रस्वीकृत' से अभिप्रेत है बिहार सरकार, शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्वीकृत अराजकीय संस्कृत (मध्यमा स्तर तक) विद्यालय;
 - (viii) 'विद्यालय' से अभिप्रेत है बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के द्वारा प्रस्वीकृत अराजकीय संस्कृत विद्यालय (मध्यमा स्तर तक);
 - (ix) 'विद्यालय प्रबंध समिति' से अभिप्रेत है बिहार राज्य अराजकीय संस्कृत विद्यालय (मध्यमा स्तर तक) प्रबंध समिति गठन नियमावली, 2015 के नियमों के अधीन गठित प्रबंध समिति ;
 - (x) 'मध्यमा स्तर' तक की अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों से अभिप्रेत है :--

- (क) अराजकीय प्रस्वीकृत प्राथमिक संस्कृत विद्यालय–वर्ग एक से पांच वर्ग तक।
- (ख) अराजकीय प्रस्वीकृत मध्य संस्कृत विद्यालय-वर्ग छह से आठ वर्ग तक।
- (ग) अराजकीय प्रस्वीकृत प्राथमिक—सह—मध्य संस्कृत विद्यालय—वर्ग एक से आठ वर्ग तक।
- (घ) अराजकीय प्रस्वीकृत माध्यमिक संस्कृत विद्यालय –वर्ग छह से दस वर्ग तक।
- (ङ) अराजकीय प्रस्वीकृत प्राथमिक सह उच्च संस्कृत विद्यालय वर्ग एक से दस वर्ग तक।
- (xi) 'शिक्षकेत्तर कर्मचारी' से अभिप्रेत हैअराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत (मध्यमा स्तर तक) विद्यालय के शिक्षकों को छोड़कर अन्य सभी पूर्णकालिक कर्मचारी।

3.अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का पदसोपान/प्राधिकृत बल।-

- (i) अराजकीय प्रस्वीकृत मध्य संस्कृत विद्यालय :- 01 आदेशपाल।
- (ii) अराजकीय प्रस्वीकृत प्राथमिक सह मध्य संस्कृत विद्यालय :- 01 आदेशपाल।
- (iii) अराजकीय प्रस्वीकृत माध्यमिक संस्कृत विद्यालय :- 01 लिपिक + 01 आदेशपाल।
- (iv) अराजकीय प्रस्वीकृत प्राथमिक सह उच्च संस्कृत विद्यालय –01 लिपिक + 01 आदेशपाल।
- 4. आरक्षण— राज्य के सभी अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्तिमें राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।
- 5. नियुक्ति एवं नियुक्ति की प्रक्रिया / भर्ती। —(1)विद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों पर सीधी नियुक्तियाँ राज्य में कम से कम दो मुख्य हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में सम्यक विज्ञापन निकालने के बाद की जा सकेगी।
- (2) विद्यालय विज्ञापन के प्रारूप पर सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेगा। इस प्रारूप में, अन्य बातों के साथ—साथ विज्ञापित पद का नाम, रोस्टर के अनुरूप रिक्ति, अपेक्षित अर्हताएँ, उपलब्धियाँ और अन्य संबंधित विशिष्टियां विनिर्दिष्ट रहेंगी।
- (3) विद्यालय प्रबंध समिति, विज्ञापन के आलोक में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का एक लिस्ट तैयार करेगी एवं एक पखवारे के भीतर निबंधित डाक द्वारा नोटिस देकर साक्षात्कार के लिए ऐसे प्रत्याशियों को बुलायगी जो विज्ञापन के अनुरूप अर्हता रखते हो। साक्षात्कार के लिए (तिथि का निर्धारण इस प्रकार बुलाये गये प्रत्याशियों का साक्षात्कार) विशेष रूप से बुलाई गई साधारण बैठक में समिति के सदस्य रहेंगे।

समिति साक्षात्कार की तिथि की पूर्व सूचना अध्यक्ष / सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना को देगी। अध्यक्ष / सचिव बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना स्वंय या अपने प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने हेतु भेजेंगे। इनकी अनुपस्थिति में विद्यालय प्रबंध समिति सदस्य साक्षात्कार नहीं कर सकेगे। साक्षात्कार के बाद एक मेधा सूची बनेगी, जिस पर सभी सदस्यों का हस्ताक्षर रहेगा।

- (4) यदि प्रत्याशी, प्रधानाध्यापक या सिमित के किसी सदस्य / विशेषज्ञ का संबंधी हो, तो प्रधानाध्यापक या ऐसे सदस्य / विशेषज्ञ साक्षात्कार के पहले, वास्तविक संबंध की सूचना बोर्ड को देगा एवं साक्षात्कार में भाग नहीं लेगा। अगर साक्षात्कार में भाग लिया एवं उक्त तथ्य को छिपा दिया, तो उसके संबंधी की नियुक्ति अवैध मानी जायेगी, लेकिन अन्य नियुक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (5) समिति भरे जाने वाले प्रत्येक पद के लिए साक्षात्कार किये गये सभी प्रत्याशियों की नामिका अधिमान्यता क्रम में साक्षात्कार में दिए गये अंकों एवं शैक्षणिक योग्यता में दिये गये वेटेज अंक में के आधार पर पैनल तैयार करेगी।

	पैनल निर्माण हेतु साक्षात्कार एवं शैक्षणिक योग्यता के अंक निम्न तालिका के अनुसार होगें :			
क्र0	साक्षात्कार—20 अंक	शैक्षणिक योग्यता—80 अंक		
01	प्रबंध समिति द्वारा लिया गया साक्षात्कार 20 अंकों का होगा।	(i) लिपिक पद हेतु — इन्टरमिडिएट में प्राप्त अंकों का अधिकतम 80 अंक का होगा। (ii) आदेशपाल पद हेतु —मैट्रिक में प्राप्त अंकों का अधिकतम 80 अंक का होगा।		

- (6) शैक्षणिक योग्यता का अंको का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा :--
- (1) लिपिक पद हेतु इन्टरमिडिएट परीक्षा का प्राप्त प्राप्तांक
 - (i) 45 प्रतिशत से 59 प्रतिशत —60 अंक
 - (ii) 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत -70 अंक
 - (iii) 75 प्रतिशत एवं उससे उपर -80 अंक
- (2) आदेशपाल पद हेत् –मैट्रीक परीक्षा का प्राप्त प्राप्तांक :-
 - (i) 45 प्रतिशत से 59 प्रतिशत —60 अंक
 - (ii) 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत -70 अंक
 - (iii) 75 प्रतिशत एवं उससे उपर -80 अंक

नोट :- उपर्युक्त सभी पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता में कम से कम द्वितीय क्षेणी में उतीर्णता अनिवार्य है।

- (7) समिति साक्षात्कार के एक सप्ताह के भीतर निम्न दस्तावेजों के साथ तीन नामावली नामिका सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड को अनुमोदन के लिए भेजेगी। उसके साथ निम्न साक्ष्य होने चाहिये:— (i) विज्ञापन की एक प्रति (ii) मेधा सूची (सभी आवेदकों का) (iii) सारणीवद्ध विवरण जिसमें सभी आवेदकों के नाम, अर्हताएं और अन्य विशिष्टियां दी रहे (iv) सभी आवेदकों का मूल आवेदन की छायाप्रति तथा प्रशंसा पत्र और अनुलग्नक।
- (8) सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड समिति की अनुशंसाओं की जांच करेंगे। समिति की अनुशंसओं को अनुमोदित या अन—अनुमोदित अथवा अधिमानता क्रम में हेर फेर करके उसे उपान्तरित कर समिति के पास एक मास के भीतर उत्तर भेज देगें। जब सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन या उपान्तरण करें तब ऐसा करने का लिखित कारण संसूचित किया जायेगा।
- (9) यदि समिति सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के विनिश्चय से व्यथित हो तो उसे आदेश प्रति की तिथि से 60 दिनों के भीतर विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना के पास अपील करने का अधिकार होगा।
- (10) उनकी नियुक्ति के संबंध में विवाद होने की स्थिति में विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा विवाद का निबटारा अपील के माध्यम से किया जायेगा।

6. अर्हत्ता। -

- (i) अराजकीय प्रस्वीकृत मध्य संस्कृत विद्यालय के (क) आदेशपाल-मैट्रिक उत्तीर्ण।
- (ii) अराजकीय प्रस्वीकृत प्राथमिक सह मध्य संस्कृत विद्यालय के (क)आदेशपाल-मैट्रिक उत्तीर्ण
- (iii) अराजकीय प्रस्वीकृत माध्यमिक संस्कृत विद्यालय के (क) लिपिक—इन्टरमिडिएट एवं (ख) आदेशपाल—मैट्रीक उत्तीर्ण
- (iv) अराजकीय प्रस्वीकृत प्राथमिक सह उच्च संस्कृत विद्यालय के (क) लिपिक—इन्टरिमडिएट एवं (ख) आदेशपाल—मैट्रीक उत्तीर्ण
- 7. परिवीक्षा एवं अविध ।—अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के किसी शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी के पद पर नियुक्ति, जबतक वह अस्थायी न हो, तब तक प्रारंभ में दो वर्षों के लिये परिवीक्ष्यमान आधार पर की जायेगी। परन्तु, परिवीक्ष्यमान नियुक्ति केवल स्थायी रिक्ति में ही की जायेगी।
- 8. सम्पुष्टि —िशिक्षकेत्तर कर्मचारी स्थायी पद पर परिवीक्ष्यमान रूप से नियुक्त व्यक्ति दो वर्षो की परिवीक्ष्यमान अवधि समाप्त होने पर संपुष्ट कर दिया जायगा, यदि विशिष्ट कारणों से समिति के संकल्प द्वारा यह अवधि और भी एक वर्ष के लिये न बढ़ा दी जाय या संपुष्टि रोक न रखी जाय।
- 9. उम्र सीमा।—(1) किसी भी व्यक्ति को मध्य/प्राथमिक सह मध्य/माध्यमिक/प्राथमिक सह उच्च संस्कृत विद्यालय में नियुक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय—समय पर विहित किया जाय।
 - (2) शिक्षकेत्तर कर्मचारी 62 वर्ष की उम्र हो जाने पर स्वतः सेवानिवृत हो जायेंगे।
- 10. अनुशासनिक कार्रवाई I—(1)समिति, शिक्षकेत्तर किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने,लघु या वृहत दंड देने में सक्षम होगी।

परन्तुं, दंड देने के पूर्व, कर्मचारी को अपने मामले के संबंध में स्पष्टीकरण देने का उचित अवसर दिया जायगा। प्रबंध समिति के निर्णय से व्यथित व्यक्ति 60 दिनों के भीतर अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के यहां अपील दायर कर सकता है एवं अध्यक्ष सभी पक्षों को सुनकर अपना निर्णय देंगे, जो अंतिम होगा।

(2) समिति विद्यालय के परिवीक्ष्यमान व्यक्ति सहित किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित कोई भी दंड दे सकेगी:—

(क) लघ् दंड -

परिनिन्दा (सेन्सर)।

- (ख) वृहत दंड
 - (i) पदावनति।
 - (ii) सेवान्मुक्ति।
 - (iii) पदच्यति।
- (3) समिति संबंद्ध व्यक्ति को अपने आचरण के संबंध में सम्यक रूप से लिखित स्पष्टीकरण देने का अवसर दे सकेगा और उसमें समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- (4) शिक्षकेत्तर कर्मचारी को किसी प्रकार कोई बड़ा दण्ड देने के मामले में समिति के अध्यक्ष और सचिव के द्वारा सविस्तार आरोप पत्र तैयार किया जायेगा और समिति संकल्प के द्वारा उस पर निर्णय लेगा। इस प्रकार विरचित आरोप विनिर्दिष्ट होंगे और उसमें सभी सुसंगत तथ्य दिये रहेंगे ताकि संबद्ध व्यक्ति को साफ—साफ समझ में आ जाय कि इसपर कौन—कौन से आरोप लगाये गये हैं। जहाँ प्रथम दृष्टया आरोप बहुत गंभीर हो और समिति महसूस करे कि—
- (क) ऐसे व्यक्ति को विद्यालय की सेवा में बने रहना विद्यालय के अनुशासन और सामान्य भलाई की दृष्टि से अहितकर होगा।

- (ख) संबंद्ध व्यक्ति विद्यालय अभिलेख में उलट फेर अथवा तोड़—मरोड़ कर सकता है अथवा विद्यालय की संपत्ति या साज—समान को अन्य नुकसान पहुंचा सकता है, तो समिति, विशेष संकल्प के द्वारा ऐसे व्यक्ति को निलंबित करने का विनिश्चय कर सकेगा।
- (5)जिस व्यक्ति पर कार्यवाही चलायी जाय उसे अपने उपर लगाये गये आरोप, नियम—10 (iv) के अधीन अपने निलंबन के एक सप्ताह के भीतर, लिखित रूप से दिये जायेगें और उसे आरोप पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देना होगा। स्पष्टीकरण की प्राप्ति की तारीख से एक पखवारे के भीतर समिति की बैठक बुलायी जायगी और जिसके लिये, हरेक सदस्य को, रजिस्ट्रीकृत डाक या विशेष दूत द्वारा पूरे दस दिनों की नोटिस दी जायेगी। इस बैठक में वर्त्तमान सदस्यों की कुल संख्या की दो—तिहाई सदस्यों का कोरम होगा। यदि प्रधानाध्यापक या समिति में शिक्षक या प्रतिनिधि स्वयं आरोप से संबंद्ध हो तो वह ऐसी बैठक में उपस्थित नहीं रहेगा।
- (6) अध्यक्ष / सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना की सहमति के बिना कोई शिक्षकेत्तर कर्मचारी को तीन महीने से अधिक अवधि के लिये निलंबित न किया जायेगा।निलंबन की अवधि में उसे जीवन निर्वाह भत्ता जो उसके मासिक वेतन जीवन यापन भत्ता सहित का आधा होगा।
- (7) संबद्ध व्यक्ति के स्पष्टीकरण पर सम्यक विचार करने और अनुरोध किये जाने पर उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद, सिमति, उप–िनयम (10(ii)) में विनिर्दिष्ट कोई दंड देने या आरोपों से विमुक्त करने का विनिश्चय कर सकेगा। अभियुक्त के आरोपों से विमुक्त किये जाने की स्थिति में निलंबन की अविध, कर्त्तव्यस्थ अविध मानी जायगी और उस अविध का पूरा वेतन और भत्ता दिया जायगा। यदि सिमति, बड़े दंडों में से कोई दंड देने का विनिश्चय करें तो वह इस बात का भी विनिर्दिष्ट विनिश्चय करेंगी कि निलंबन की अविध कर्त्तव्यस्थ अविध मानी जायगी या नहीं।
- (8) ऐसे सभी मामले में, जिनमें समिति बड़े दंडों में से कोई दंड देने का विनिश्चय करे, ऐसा दंड वास्तव में कार्यान्वित किये जाने के पहले कार्यवाही के सभी अभिलेख और व्याख्यात्मक अग्रपत्र बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के पास भेजे जायेंगे। समिति के निर्णय से व्यथित व्यक्ति 60 दिनों के भीतर अध्यक्ष,बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के पास अपील कर सकेगा एवं अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड सभी पक्षों को सुनकर अपना निर्णय देगें।बोर्ड अथवा अध्यक्ष के निर्णय से व्यथित व्यक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पास अपील दायर कर सकेगा। विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा सभी पक्षों को सुनवाई का पूर्ण मौका देकर अपना निर्णय देंगे।
 - 11. अवकाश | -विद्यालयों में नियतावकाश के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकार के अवकाश देय होंगे -
- (i) आकस्मिक अवकाश प्रत्येक पंचांग वर्ष में शिक्षकेत्तर कर्मचारियोंके लिए बारह दिन आकस्मिक अवकाश के होंगे। शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के द्वारा किये जानेवाले अवकाश को विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्वीकृत करेंगे। एक बार में यह अवकाश अधिकतम सात दिनों तक दिया जा सकेगा।

आकस्मिक अवकाश में पड़नेवाले नियताावकाश के दिन अवकाश के अंश के रूप में नही गिने जायेंगे।

- (ii) अर्जितावकाश (क) पूरे पंचांग वर्ष की कार्याविध में प्रतिवर्ष प्रत्येक शिक्षकेत्तर कर्मचारी पूर्ण वेतन पर तीन दिन यह अवकाश अर्जित करेगा। यह अवकाश तीन वर्षों से कम की सेवा पर अनुमान्य नहीं होगा। यह अवकाश 120 दिनों के अधिक अर्जित होने पर व्ययगत समझा जायगा।
- (ख) पूरे पंचांग वर्ष की कार्याविध में प्रतिवर्ष शिक्षकेत्तर कर्मचारी को अर्द्धवेतन पर बीस दिनों का अवकाश अर्जित करेगा। यह अवकाश व्ययगत नहीं होगा।

यह अवकाश शिक्षकेत्तर कर्मचारी के स्वंय रूग्णता—प्रमाण—पत्र के आधार पर अर्द्धवेतन के स्थान पर पूर्ण वैतनिक रूप में रूपान्तरित किया जा सकेगा जो उक्त अवकाश का आधा होगा। शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के अर्जित अवकाश प्रधानाध्यापक स्वीकृत करेंगे।

- (iii) अध्ययन अवकाशः— विद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारी जो संपुष्ट हो अपने पूरे सेवा काल में उच्च अध्ययन के लिए तीन वर्षों का अवैतनिक रूप में अध्ययन अवकाश ले सकेगा और इस अवकाश के कारण संबंधित व्यक्ति की सेवा संबंधी सुविधाओं में कोई बाधा नहीं होगी। शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के अध्ययन अवकाश प्रधानाध्यापक स्वीकृत करेंगे।
- (iv) मातृत्व अवकाश महिला कर्मी 90 दिनों की मातृत्व अवकाश की हकदार होगीं तथा इसका लाभ मात्र 02 (दो) संतान के लिए अनुमान्य होगा। महिला शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश प्रधानाध्यापक स्वीकृत करेंगे।
- (v) विशेष अवकाश महिला कर्मियों को प्रत्येक माह में दो दिन का विशेष अवकाश अनुमान्य होगा, जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा।
- 12. प्रकीर्ण I—(1) सेवा—पुस्त— प्रत्येक विद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवा—पुस्त रखीं जायेगी।शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवा पुस्त प्रधानाध्यापक के द्वारा अभिप्रमाणित की जायेगी और सेवा—पुस्त का सत्यापन सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा की जायेगी।
- (2) वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति विद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारी की गोपनीय चरित्र—पुस्तिका रखी जायेगी। इसमें वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति प्रतिवर्ष शिक्षा सत्र के अन्त में दर्ज की जायेगी। शिक्षकेत्तर कर्मचारी की गोपनीय चरित्र—पुस्तिका प्रधानाध्यापक लिखकर विद्यालय प्रबंध समिति को समर्पित करेंगे। विद्यालय प्रबंध समिति बैठक में निर्णय लेकर अभ्युक्ति दर्ज करेंगी।

यदि किसी विशेष वर्ष में किसी शिक्षकेत्तर कर्मचारी के कार्य के संबंध में प्रतिकूल अभ्युक्ति दर्ज की गई हो तो उसका सुसंगत उदाहरण अगले सत्रारम्भ के तीन माह के भीतर, सम्बद्ध व्यक्ति को संसूचित किया जायेगा। शिक्षकेत्तर कर्मचारी यह महसूस करे कि ऐसी प्रतिकूल अभ्युक्ति तथ्यों पर आधारित नहीं है तो उस की स्थिति में अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के पास अपील की जा सकेगी। अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पूर्ण तथ्य अवगत होने के बाद अपना अन्तिम विनिश्चय देगा और अपील को या तो अस्वीकृत कर या पूर्ण या आंशिक अभ्युक्ति हटाकर समुचित संशोधन करने का निदेश देंगे।बोर्ड अथवा अध्यक्ष के निर्णय से व्यथित व्यक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर विशेष निदेशक, माध्यिमक शिक्षा सभी पक्षों को सुनवाई का पूर्ण मौका देकर अपना निर्णय देंगे।

- 13. **निरसन एवं व्यावृत्ति ।**—(1) सभी पूर्व सेवा शर्त्त नियमावली, संकल्प, आदेश एवं अनुदेश आदि एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, नियमावली, संकल्प, आदेश एवं अनुदेशके अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गई मानी जायेगी मानो नियमावली उस दिन प्रवृत थी जब वैसा कुछ किया गया था या वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आर० के० महाजन, प्रधान सचिव।

The 13th February 2015

No. 10/Mu 1-53/2014-100—In exercise of the powers conferred under Section 22 of Bihar Sanskrit Shiksha Board Act, 1981 (Bihar Act No. 31, 1982), the Governor of Bihar is pleased tomake the following rules to regulate the service conditions of the Non-teaching staff of the Non-Government Sanskrit School(up to Madhyama Standard) as follows:-

- **1. Short title, extent and commencement .-**(1) These Rules shall be called the "Bihar State Non Government Recognised Sanskrit School (up to Madhyama Standard) Non-teaching staff Service Conditions Rules, 2015.
- (2) It shall extend to the Recognised Non-Government Sanskrit Schools (Up to Madhyama Standard) of the whole of the state of Bihar.
 - (3) It shall come into force from at once.
- **2. Definitions.-**In these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-
 - (i) 'the Government' means Government of Bihar.
 - (ii) 'Department' meansEducation Department.
 - (iii) 'Act' means Bihar Sanskrit Shiksha Board Act, 1981.
 - (iv) 'Board' means Bihar Sanskrit Shiksha Board, constituted under the Act, 1981.
 - (v) 'Chairman' means Chairman of the Bihar Sanskrit Shiksha Board.
 - (vi) 'Secretary' means Secretary of the Bihar Sanskrit Shiksha Board.
 - (vii) 'Recognition' means Recognised Non-Government Sanskrit School (up to Madhyama Standard) from the Government of Bihar, Education Department, Patna.
 - (viii) 'School' means Recognized Non-Government Sanskrit School(up to Madhyama Standard) from the Education Department.
 - (ix) 'Managing Committee' means School Managing Committee of Non-Government Sanskrit School (up to Madhyama Standard) constituted under the School Managing Committee Rules, 2015.
 - (x) 'Recognised Non-Government Sanskrit School (up to Madhyama Standard) means:-
 - (i) Recognised Non-Government Primary Sanskrit School: -From Class I to V
 - (ii) Recognised Non-GovernmentMiddle Sanskrit School:-From Class VI to VIII
 - (iii) Recognised Non-GovernmentPrimarycum Middle Sanskrit School :-From Class I to VIII
 - (iv) Recognised Non-Government Madhyamik Sanskrit School: -From Class VI to X

- (v) Recognised Non-Government Primary Cum High Sanskrit School From Class I to X
- (xi) 'Non-teaching staff means employee other than teacher.

3. Hierarchy and Sanctioned Strength of Non-teaching Satff of Recognised Non-Government Sanskrit School (up to Madhyama Standard) .-

- (i) Recognised Non-Government Sanskrit Middle School 01 (one) Peon.
- (ii) Recognised Non-Government Primary-Cum-Middle Sanskrit School 01 (one) Peon.
- (iii) Recognised Non-Government Madhyamik Sanskrit School 01 (one) Clerk + 01 (one) Peon.
- (iv) Recognised Non-GovernmentPrimary Cum High Sanskrit School 01 (one) Clerk + 01 (one) Peon.
- **4. Reservation.**-The reservation policy enforced in the State time to time shall be followed in the appointment of Non-teaching employees of Recognised Non-Government Sanskrit School (Madhyama Standard) of the State.
- **5.** Appointment and Process of appointment/Recruitment .- (1) All the appointments for non-teaching post shall be made after the post advertised in at least two main Hindi daily News Papers the State level.
- (2) The School shall obtain prior approval of the Secretary Bihar Sanskrit Shiksha Board on format of advertisement. In addition to otherthings name of the post of advertisement, vacancy as per reservationroster, required eligibility, achievement and other related qualificationshall be specified in the format.
- (3) School Managing Committee, shall prepare a list of applications and call the candidates for interview by issuing notice through registered post within 15 days who shall be found eligible as per advertisement. The date of interview shall be fixed by the members of the Committee in the General Meeting specially called for.

The Committee shall fix the date of interview and give priorinformation to the Chairman/Secretary, Bihar Sanskrit Shiksha Board, patna with respect of the aforesaid interview. The Chairman/Secretary, Bihar Sanskrit Shiksha Board, Patna or his representative will participate in the said meeting. The School Managing Committee shall not conduct interview in absence of representation of the Board. A merit list shall be prepared after the interview which shall be duly signed by all the members.

- (4) If a candidate is relative of Headmaster or any member/expert then such a Headmaster or member/expert shall give prior information to the Board before interview with respect to his actual relation and shall not participate in the interview. If participated in the interview and concealed the above fact, then appointment of his concerned relative shall be deemed to be illegal but appointment of others shall not be affected.
- (5) That Committee shall prepare a panel of candidates appeared in the interview in respect of every post to be filled up on the basis of marks obtained in the interview and weigtage points in the educational qualification by the respective candidates.

Marks for merit shall be counted as follows:-

Sl.No.	Interview :- 20 Marks	Education Qualification: -80 Marks.
01	Interview conducted by the	(a) For the post of Clerk- maximum 80
	Managing Committee will be of	marks obtained in intermediate.
	20 Marks.	(b) For the post of Peon- maximum 80
		marks obtained in the Matric.

(6) Determination of marks of educational/teaching qualification shall be done as follows:-

(1) For the post of clerk (maximum- 80 marks) :- Marks obtained in Intermediate examination :-

(a) 45 % to 59 % :- 60 marks (b) 60 % to 74 % :- 70 marks (c) 75 % and above :- 80 marks

(2) For the post of peon (maximum- 80 marks) :- Marks obtained in Matric examination :-

(a) 45 % to 59 % :- 60 marks (b) 60 % to 74 % :- 70 marks (c) 75 % and above :- 80 marks

Note:- Educational qualification passed with minimum second division is compulsory for the above mention posts.

- (7) Committee shall send three list of panel of candidates within one week of interview to the Secretary, Bihar Sanskrti Shiksha Board, Patna for approval of the Board with the following documents- (i) A copy of advertisement (ii) Merit list of all applicants (iii) Table wise description of all the applicants, eligibility and other specializations (iv) Photo copy of original application of all applicants and letter of appreciation and annexure.
- (8) The Secretary, Bihar Sanskrit Shiksha Board shall verify the recommendations of the Committee and will return back to the committee within a month after giving approval or non-approval or after changing & correcting the merit list and in that case reasons shall be assigned by the Secretary.
- (9) If Committee is aggrieved by the decision of the Secretary may present an appeal before the Special Director, Secondary Education, Bihar, Patna within 60 days of such decision.
- (10) In case of any dispute arising out of their appointment may prefer an appeal and the same shall be settled by Special Director, Secondary Education, Bihar, Patna.

6. Eligibility .-

- (i) Recognised Non-Government Sanskrit Middle School 01 (one) Peon-Matric Pass.
- (ii) Recognised Non-Government Primary-Cum-Middle Sanskrit School-01 (one) Peon-Matric Pass.
- (iii) Recognised Non-Government Madhyamik Sanskrit School -
 - (a) 01 (one) Clerk-Intermediate Pass
 - (b) 01 (one) Peon- Matric Pass.
- (iv) Recognised Non-GovernmentPrimary Cum High Sanskrit School -
 - (a) 01 (one) Clerk-Intermediate Pass
 - (b) 01 (one) Peon- Matric Pass.
- **7. Probation and Period** .- The appointment, if not temporary shall be made initially for the period of two years on probation and appointment under probation shall be made only in the permanent vacancy.
- **8.** Confirmation .-If the work and conduct of probationer found satisfactory during the probation period then the Committee shall confirm him by the end of period of two years. If the work and conduct of concerned person in not satisfactory in the opinion of the Committee then the Committee shall decide Whether probation period be extended for a year or service be terminated before the completion of probation period.
- **9. Age** .-(1) Minimum age shall be the 18 years in Middle/Primary Cum Middle/Madhyamik/Primary Cum High Sanskrit School for the appointment of any person, Maximum age limit will be the same as this prescribed by the State Government (General Administration Department) time to time.

- (2) A person appointed on any post of non-teaching shall retired after completion of 62 years of age.
- **10. Deciplinary Action .-**(1) The Committee shall be competent to take desciplinary action and award major or minor punishment to any non-teaching staff.

But before imposing punishment the employee shall be given proper apportunity for explanation regarding his case.

The person aggrieved by the decision of the Committee may prefer an appeal within 60 days before the Chairman, Bihar Sanskrit Shiksha Board and the Chairman, Bihar Sanskrit Shiksha Board after hearing all the parties shall deliver his decision which will he final.

- (2) The Committee may impose to any person including person under probation following punishment:-
 - (a) Minor Punishment Admonition/Censor
 - (b) Major Punishment -
 - (i) Reduction in rank
 - (ii) Removal from service
 - (iii) Dismissal
- (3) The Committee may provide an opportunity for giving due written explanation to the person concerned for his conduct.
- (4) Before imposing major punishment of any kind fully described charge sheet shall be prepared by the President and Secretary of the Committee and the Committee shall take decision by resolution. The charge so framed shall be specific and all relevant facts shall be mentioned therein so that it must be easy to understand to the person concerned about the charges levelled against him. Where Prima facie allegation is very serious and the Committee feels that:-
- (a) It shall be undesirable in view of the descipline and common interest of the school to keep such a person in the service of the school,

or

- (b) The person concerned may tamper or distort the school records or may create other damages to the property or accessories of the school, then the Committee may decide to suspend such a person by Special Resolution.
- (5) The person on whom proceeding initiated shall be given in writing about the allegation labelled against him within one week of suspension under Rule 10 (iv) and he shall have to give explanation within 15 days from the date of receipt of Charge sheet. The meeting of the Committee shall be called for within 15 days from the date of receipt of explanation and for this notice of 10 days shall be sent to every member by register post or by special messenger. The quorum of the meeting will be completed by two third members of the present total number of members.
- (6) No Non-teaching Staff shall be suspended for more than 03 months without consent of the Chairman/Secretary, Bihar Sanskrit Shiksha Board, Patna. During period of suspension he shall get subsistence allowance which shall be the half of his monthly salary and Dearness allowance.
- (7) The Committee, after due consideration on explanation and opportunity to be heard on request of the person concerned may decide specifically under para 10(ii) to impose major punishment or discharge from the allegations specified. In case of discharge from the allegations the period of suspension will be treated as the period of work done and full salary and allowance of the said period shall be given. If the Committee, decides to impose any punishment under major punishment then the Committee will specifically decide whether period of suspension will be treated as period of work done or not.

- (8) All the records and speaking order of the proceeding shall be sent to the Bihar Sanskrit Shiksha Board before actual execution of such punishment in all the cases in which the Committee decides to impose any punishment out of major punishment. The person aggrieved by the decision of the Committee may prefer an appeal within 60 days before the Chairman, Bihar Sanskrit Shiksha Board and the Chairman, Bihar Sanskrit Shiksha Board after hearing all the parties shall deliver his decision and if any person aggrived with the decision of the Board or Chairman he may prefer an appeal within 60 (Sixty) days before the Special Director, Secondary Education and the Special Director after giving full apportunity to hear the aggrieved and concerned person shall deliver his decision.
- **11. Leave** .-In addition to fixed leave the non teaching staff of Recognised Non-Governmental Sanskrit School will be entitled to get the following leaves.
- (i) Casual Leave In every Calendar year Twelve days casual leave will be admissible to every non-teaching staff of Recognised Non-Government Sanskrit School. Headmaster of the School will sanction the casual leave of all Non-teaching staff of the School. In one time casual leave will be sanctioned for maximum seven days only and fixed leave in between the period of casual leave will not be counted as part of the casual leave.
- (ii) Earn Leave (a) Every Non-teaching staff of the school will earn three days leave on full day for the working period of every calendar year. If will not be admissible for the non-teaching staff having less than three years of service. Non-teaching staff of the school will earn a maximum of 120 days earn leave. Leave earn more than 120 days will be lapsed.
- (b) Every Non-teaching staff of the school will earn twenty days leave on half pay for working period of every calendar year. It will not be lapsed. It can be converted into full pay on medical certificate and will be half of this leave.

Headmaster of the school will sanction the earn leave of all non-teaching staff of the school.

(iii) Study leave - Confirm Non-teaching staff of the school can get three years study leave without pay in their whole tenure. Study leave will not affect the service condition of the Non-teaching staff.

Headmaster of the School will sanction the study leave to the non teaching staff.

- (iv) Maternity leave Ninty days maternity leave will be admissible to female staff for only two children. Headmaster of the School will sanction the Maternity leave of non-teaching staff.
- (v) Special leave In every month two days special leave will be admissible for female staff and it will be sanctioned by the Headmaster of the school.
- **12. Miscellaneous .-**(1) Maintenance of Service Book In every school service book of every non-teaching staff will be maintained. Headmaster of the School will attest the Service-Book of all non-teaching staff of the school. The secretary of Bihar Sanskrit Shiksha Board will verify the service books of all non-teaching staff of the School.
- (2) Annual confidential Report-In every school Annual Confidential Report of every non-teaching staff will be maintained. Annual Confidential Report will be written every year after the end of the Session. Headmaster of the School will write the Annual Confidential Report of the Non-teaching staff of the School and will send the Annual Confidential Report to the School Managing Committee who will note his remarks in a particular year. if there is adverse remark in Annual confidential Report for any non-teaching staff, he will he informed within three months of starting of next session. If the non-teaching staff think so that theadverse remarks are not based on factual grounds, then may prefer an appeal within 60 days before the Chairman, Bihar Sanskrit Shiksha Board, and the Chairman, Bihar Sanskrit Shiksha Board after giving full opportunity to hear the

aggrieved shall deliver his decision and if any person aggrived with the decision of the Board or Chairman he may prefer an appeal within 60 (Sixty) days before the Special Director, Secondary Education and the Special Director after giving full apportunity to hear the aggrieved and concerned person shall deliver his decision.

- 13 **Repeal & saving .-**(1) All the previous service condition Rules, Resolution, orders and instructions are here by repealed.
- (2)Not with standing such repeal, anything done or any action taken under the previous Rules, Resolution, order, instructions, shall be donw or taken under these Rules as at these Rules were come in to force on such date when such thing was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar, **R.K.Mahajan**, *Principal Secretary*.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 332-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in